"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 236] रायपुर, बुधवार, दिनांक 14 जून 2017 —— ज्येष्ठ 24, शक 1939

स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 14 जून 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-51/2010/20-एक. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2009 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

नियम 14 में, उप-नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(2) योग्यता-सह वरिष्ठता (मेरिट कम सिनियारिटी) के आधार पर भरे जाने वाले पदों के संबंध में विचारण क्षेत्र शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के नियम 7 के अनुसार होगी."

No. F 1-51/2010/20-One. — In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, The Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh School Education (Gazetted) Service recruitment rules, 2009, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

In rule 14, for sub-rule (2), the following shall be substituted, namely :-

"(2) Zone of consideration in relation to the posts to be filled on the basis of merit-cum-seniority shall be in accordance with rule 7 of the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 issued by the General Administration Department of the Government."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. डी. दीवान, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.